1 भारतीय संविधान की विकास यात्रा
The Journey of Indian Constitution

- संविधान क्या है?
- संविधान का महत्त्व
- संवैधानिक विकास के चरण
  - रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773
  - एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781
  - पिट्स इंडिया एक्ट, 1784
  - चार्टर अधिनियम, 1813
  - चार्टर अधिनियम, 1833
  - चार्टर अधिनियम, 1853
  - भारत शासन अधिनियम, 1858
  - भारतीय परिषद् अधिनियम, 1861
  - भारतीय परिषद् अधिनियम, 1892
  - भारतीय परिषद् अधिनियम (मॉर्ले-मिंटो सुधार), 1909
  - भारत शासन अधिनियम, 1919
  - भारत शासन अधिनियम, 1935
  - भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947
- स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल (1946)
- स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल (1947)
  - बाल्कन प्लान/डिकी बर्ड प्लान/इस्मा प्लान
- अभ्यास प्रश्न

संविधान क्या है? (What is Constitution?)

संविधान नियमों, उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज़ होता है, जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढाँचा निर्धारित करता है। संविधान राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना, उनकी शक्तियों तथा दायित्वों का सीमांकन एवं जनता तथा राज्य के मध्य संबंधों का विनियमन करता है।

प्रत्येक संविधान, उस देश के आदर्शों, उद्देश्यों व मूल्यों का दर्पण होता है। संवैधानिक विधि देश की सर्वोच्च विधि होती है, तथा सभी अन्य विधियाँ इसी पर आधारित होती हैं। संविधान एक जड़ दस्तावेज़ नहीं होता, बल्कि यह निरंतर पनपता रहता है। वर्षों से चली आ रही परम्परायें भी देश के शासन में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं।

संविधान का महत्त्व (Importance of Constitution)

- संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा?
- समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है।
- समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी तथा सरकार का निर्माण कैसे होगा, निर्धारित करता है।
- यह समाज की आकांक्षाओं एवं लक्ष्यों को अभिव्यक्त करता है एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु उचित परिस्थितियों के निर्माण को सुनिश्चित करता है। (न्यूनतम समन्वय व आपसी विश्वास हेतु)
- यह समाज को बुनियादी पहचान प्रदान करता है।
- संविधान, राजव्यवस्था के तीन प्रमुख अंगों-कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका की स्थापना करता है तथा उनकी शक्तियों एवं अधिकारों को परिभाषित करता है।
- यह राज्य के अंगों के अधिकार को मर्यादित कर उन्हें निरंकुश एवं तानाशाह होने से रोकता है।
- संविधान एक आइना है जिसमें उस देश के भूत, वर्तमान और भविष्य की झलक मिलती है।

संविधान और राजव्यवस्था के अनेक उपादान ब्रिटिश शासन से ग्रहण किये गए हैं, ब्रिटिशों द्वारा समय-समय पर लाए गए अधिनियमों ने भारतीय सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा/ढाँचे को तैयार किया है।

संवैधानिक विकास के चरण (Stages of Constitutional Development)

रेग्युलेटिंग एक्ट, *1773 (Regulating Act, 1773)*

इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। भारतीय संवैधानिक इतिहास में इसका विशेष महत्त्व यह है कि इसके द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं–

- बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया।
- कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल व चार सदस्यों वाले परिषद् के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई।

2 भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएँ
The making of the Indian Constitution and its Salient Features

- पृष्ठभूमि
- संविधान सभा का गठन
- संविधान सभा की कार्यविधि
  - उद्देश्य प्रस्ताव
  - भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 द्वारा हुए परिवर्तन
  - संविधान सभा द्वारा किये गये अन्य कार्य
- संविधान सभा की संविधान निर्माण से संबंधित कार्य समितियाँ
  - बड़ी समितियाँ
  - छोटी समितियाँ
- संविधान सभा के वाचन
  - प्रथम वाचन
  - द्वितीय वाचन
  - तृतीय वाचन
- संविधान की विशेषताएँ
- अभ्यास प्रश्न

पृष्ठभूमि (Background)

- भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी नेता एम. एन. रॉय द्वारा रखा गया।
- वर्ष 1934 में ही स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया।
- 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग के बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही।
- नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मान लिया और यही प्रस्ताव सन् 1940 के 'अगस्त प्रस्ताव' के नाम से जाना जाता है।
- ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1942 में 'क्रिप्स मिशन' (सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्त्व में) संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया, जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया (लीग द्वारा दो स्वायत्त राज्यों की मांग के कारण)।

संविधान सभा का गठन (Making of the Constituent Assembly)

- क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1946 में तीन सदस्यीय कैबिनेट मिशन (लॉर्ड पेथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर) को भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन के एक प्रस्ताव के द्वारा अंततः भारतीय संविधान के निर्माण के लिये एक बुनियादी ढाँचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया गया, जिसे 'संविधान सभा' का नाम दिया गया।

कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार

- प्रत्येक प्रांत, देशी रियासतों व राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी थीं। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट की व्यवस्था रखी गई।
- संविधान सभा की कुल 389 सीटों में से ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 296 सीटें तथा देशी रियासतों को 93 सीटें आवंटित की जानी थीं।
- 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों तथा चार का चयन दिल्ली, अजमेर-मारवाड़, कुर्ग एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान के 4 चीफ़ कमिश्नर के प्रांतों (प्रत्येक में से एक-एक) से किया जाना था।
- प्रत्येक प्रांत की सीटों को तीन प्रमुख समुदायों– मुसलमान, सिख और सामान्य (मुस्लिम और सिख के अलावा) में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बाँटा जाना था।
- प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके के मतदान से किया जाना था।
- देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था।

- संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी।
- संविधान सभा हेतु ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिये जुलाई-अगस्त 1946 में चुनाव हुए। 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें एवं 15 सीटें अन्य छोटे समूहों को प्राप्त हुईं।

3 संविधान की प्रस्तावना
Preamble of the Constitution

- प्रस्तावना क्या है?
- प्रस्तावना के मुख्य तत्त्व
  - संविधान का स्रोत
  - संविधान का स्वरूप
  - संविधान का उद्देश्य
- प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द
  - हम, भारत के लोग
  - संपूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न
  - समाजवादी
  - पंथनिरपेक्ष
  - लोकतंत्रात्मक
  - गणराज्य
  - न्याय
  - स्वतंत्रता
  - समता
  - बंधुत्व
  - व्यक्ति की गरिमा
  - राष्ट्र की एकता और अखंडता
- प्रस्तावना की उपयोगिता
- क्या प्रस्तावना परिवर्तनीय/संशोधनीय है?
- अभ्यास प्रश्न

प्रस्तावना क्या है? (What is Preamble?)

प्रस्तावना, भारतीय संविधान की भूमिका की भाँति है, जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान और संविधान के लागू होने की तिथि आदि का संक्षेप में उल्लेख है।

- प्रसिद्ध न्यायविद् व संविधान विशेषज्ञ एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान के 'परिचय पत्र' की संज्ञा दी है।
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आविर्भाव पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर, 1946 को संविधान सभा में रखे गए 'उद्देश्य प्रस्ताव' से हुआ है। यही कारण है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 'उद्देशिका' कहकर भी संबोधित किया जाता है।
- प्रस्तावना, अमेरिकी संविधान (प्रथम लिखित संविधान) से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा पर ऑस्ट्रेलियाई संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है।
- 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में 'समाजवादी', पंथनिरपेक्ष, और 'अखंडता' शब्द शामिल किये गए।

प्रस्तावना (Preamble)

"हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिये तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता
और अखंडता सुनिश्चित करने वाली
बंधुता बढ़ाने के लिये

दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

प्रस्तावना के मुख्य तत्त्वों को एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं–

प्रस्तावना के मुख्य तत्त्व

संविधान का स्रोत	संविधान का स्वरूप	संविधान का उद्देश्य
हम भारत के लोग, अर्थात् जनता	• संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न • समाजवादी • पंथनिरपेक्ष • लोकतंत्रात्मक • गणराज्य	• न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक) • स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना) • प्रतिष्ठा और अवसर की समता • व्यक्ति की गरिमा • राष्ट्र की एकता और अखंडता • बंधुता

प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द

"हम, भारत के लोग" ("We, the people of India")

"हम, भारत के लोग.....अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

अर्थात् भारत के लोगों द्वारा ही इस संविधान को बनाया, स्वीकार किया तथा स्वयं को अर्पित अर्थात् अपने ऊपर लागू किया गया है। भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है।

4 भारत संघ एवं उसका राज्यक्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन

Union of India and its Territory and Reorganisation of States

- राज्यों का संघ
- राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति
- देशी रियासतों का एकीकरण
- मूल संविधान (1949) में भारतीय संघ के राज्यों का वर्गीकरण
- राज्य पुनर्गठन आयोग
  - धर आयोग
  - फज़ल अली आयोग
- 1956 के बाद बने नए राज्यों व संघशासित प्रदेशों का विवरण
- भारत और बांग्लादेश के मध्य ऐतिहासिक भूमि समझौता
- अभ्यास प्रश्न

राज्यों का संघ (Union of States)

संवैधानिक उपबंध: भारतीय संविधान के भाग-1 में अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत भारतीय संघ एवं उसके राज्यक्षेत्र का वर्णन किया गया है।

- **अनुच्छेद 1 – संघ का नाम और राज्यक्षेत्र**
  - संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा। जिसमें 'भारत' शब्द देश का नाम व 'संघ' शब्द शासन प्रणाली को दर्शाता है।
  - राज्य और उनके राज्यक्षेत्र वे होंगे, जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।
  - भारत के राज्यक्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र समाविष्ट होंगे–
    (क) राज्यों के राज्यक्षेत्र
    (ख) पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्यक्षेत्र
    (ग) ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र जो अर्जित किये जाएँ।

नोट: भारत को 'राज्यों का संघ' कहा गया है, क्योंकि–
- भारत राज्यों के मध्य किसी सौदेबाजी या समझौते का परिणाम नहीं है।
- कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिये स्वतंत्र नहीं हैं अर्थात् भारत 'विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ' है।

- **अनुच्छेद 2 – नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना**

संसद, विधि द्वारा ऐसे निर्बधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है।

- अनुच्छेद 2 के अधीन संसद को दो प्रकार की शक्ति प्राप्त है। प्रथम, नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति और द्वितीय, नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। पहले का संबंध उन राज्यों से है, जो पहले से ही विद्यमान हैं। दूसरा उन राज्यों से संबंधित है जो पहले से स्थापित हैं परंतु भारत संघ में शामिल नहीं हैं।

नोट: अनुच्छेद 2 क-सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य था, जो स्वतंत्र देश था। इसे 36वें संविधान संशोधन, 1975 द्वारा संघ में शामिल कर भारत के अन्य राज्यों के समकक्ष बनाया गया।

राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति (Parliament's Power relating to the reorganisation of States)

- **अनुच्छेद 3 – नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन**
  (क) किसी राज्य में से उसके क्षेत्र को अलग कर, दो या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्यक्षेत्र को किसी राज्य के भाग से मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है।
  (ख) किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है।
  (ग) किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है।
  (घ) किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है।
  (ङ) किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है।
- **अनुच्छेद 4** - इस अनुच्छेद के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या गठन (अनुच्छेद-2); नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन (अनुच्छेद-3) संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा।